215

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
::अधिसूचना::

दिनांक--.......................................

संख्या--15/बि0स0से0--02--02/2009 सा0प्र0--..................../बिहार अधिनियम, 03, 2008, बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 की धारा 9(3) के परंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि ''नियत तिथि को सेवा में स्वतः सम्मिलित सहायकों में से 45 वर्ष से कम उम्रवाले सहायकों को नियत तिथि से दो वर्षो के भीतर कम्प्यूटर से टंकण की सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी यदि ऐसी सक्षमता नियत अवधि के भीतर प्राप्त नहीं करते हैं तो अगली वार्षिक वेतनवृद्धि के पात्र नहीं होंगे।''

चूँकि उपर्युक्त प्रावधान के प्रभावी होने से बिहार सचिवालय सेवा के वैसे सदस्य जिनकी आयु अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तिथि को 45 वर्ष से कम थी किन्तु वर्तमान में अथवा परीक्षा आयोजित होने की तिथि को 45 वर्ष से अधिक हो गयी है, भी वेतनवृद्धि अवरूद्ध होने की परिधि में आ जाते हैं। ये सहायक पूर्व की नियमावली 1992 के प्रावधानों के तहत वार्षिक वेतनवृद्धि की अर्हता प्राप्त कर चुके हैं, सेवा में सम्पुष्ट भी हैं एवं ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन प्राप्त करते हुए 15 से अधिक वार्षिक वेतनवृद्धि भी प्राप्त कर चुके है।

और चूँकि, इसके अतिरिक्त अंतिम राज्यावंटन के पश्चात् झारखंड से बिहार आवंटित कतिपय सहायकों की सेवा सम्पुष्टि लंबित है, जिनकी सेवा औपबंधिक आवंटन के कारण झारखंड राज्य में सेवा सम्पुष्ट नहीं किये जा सके, उन्हें भी इस प्रावधान के कारण कठिनाई होगी। इस बीच राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दो वर्षों की कालावधि के भीतर कम्प्यूटर जांच परीक्षा भी आयोजित नहीं की जा सकी है।

और चूँकि, बिहार अधिनियम 03, 2008 की धारा 9(3) के परंतुक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से उत्पन्न होने वाली संभावित जटिलताओं के आलोक में इसका शिथिलीकरण अपेक्षित है।

इसलिए, अब, बिहार राज्य सरकार एतद्द्वारा बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम--3, 2008) की धारा--22 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा--9(3) के परंतुक को प्रथम कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा आयोजित किये जाने की तिथि के पूर्व 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सहायकों के मामले में तुरंत के प्रभाव से शिथिल किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/--
(दीपक कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक--15/बि0स0से0--02--02/2009 सा0प्र0--......................../पटना--15, दिनांक--......................
प्रतिलिपिः-- गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करावें।

ह0/--
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक--15/बि0स0से0--02--02/2009 सा0प्र0--2579......../पटना--15, दिनांक--02-07-10
प्रतिलिपिः-- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महाधिवक्ता बिहार का कार्यालय/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/7/10

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/बि०स०से०–02–02/2009 सा०प्र०–.....2580............./पटना–15, दिनांक–.....02-07-10

बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम–2007 (बिहार अधिनियम–3, 2008) की धारा–22 के आलोक में अधिसूचना सं०–.2579.... दिनांक ..02-07-10... के तहत अधिसूचित अधिनियम की धारा–9(3) के परन्तुक के शिथिलिकरण आदेश का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड–3 के अधिन अधिसूचना सं०–...2579........, दिनांक .02-07-10.. का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

2/7/10

सरकार के उप सचिव

Government of Bihar

General Administrative Department

:Notification:

No.-15/B.S.S-02-02/09 Sa.pra.-........................ Patna-15, Dated-........................./2010

Proviso to Section 9(3) of the Bihar Act, 03, 2008 Bihar Secretariat Service Act-2007, a provision have been made that- "Provided that from amongst such Assistants who have deemed to be automatically included in this service on the appointed day the Assistants having age belong 45 years shall be required to pass the test for competency of typing on Computer within two years from the appointed day. In case such competency is not obtained within the said period they will not became eligible for further annual increments.

Whereas, by the enforcement of above provision such members of Secretariat Service whose age were less than 45 years but at present or on the date of commencements of examination has been completed 45 years or more, will also come within the purview of withholding their annual increments. These Assistants have already got the eligibility of annual increments under the previous rules of 1992, also confirmed in service, they have got more than 15 increments and getting benefits of Assured career progration scheme,

And, whereas, a part from above the matter of confirmation of same of the Assistants is pending who were provisionally allocated to the State of Jharkhand and their confirmation in services has not been made by State of Jharkhand. Would now face difficulty meanwhile within the period of two years of the enforcement of the above said Act the examination of computer competency has not been organized.

And, whereas, in the light of the expected complexity of retrospective enforcement of proviso to section 9(3) of Bihar Act, 03, 2008 it requires relaxation.

Now, therefore, in exercise of powers conferred under the Section 22 of the Bihar Secretariat Services Act, 2007 (Bihar Act, 03, 2008) the State Government of Bihar hereby relaxes the proviso to Section 9(3) of the said Act with immediate effect with regard to the Assistants who attain the age of 45 years on the date of commencement of the first test of typing competency on computer after the promulgation of the Act.

By the order of Governor of Bihar,

Sd/-

(Deepak Kumar)

Principal Secretary to the Govt.